न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 36 / 2017

RCMS No. : 2017/00284

प्रार्थीः– **बनाम** **अप्रार्थीगण :–**

रमेशचन्द्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेल्वे जोधपुर

1. घनश्याम पंवार पुत्र श्री राकेशचन्द पंवार सेल्समैन ऑफ मैसर्स गुजरात कॉ–ओपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि.(लाईसेन्सी) प्लेटफॉर्म संख्या1 पाली मारवाड़ रेल्वे स्टेशन निवासी 267 प्रताप नगर पाली
2. सुरेश भाटी पुत्र धनराज भाटी (डिस्ट्रीब्यूटर अमूल ब्राण्ड) भाटी ट्रेडर्स नवलखा रोड़ एस.पी. ऑफिस के पीछे पाली निवासी 3 टांको का बास पाली
3. हरेन्द्रसिंह राठौड़ (ब्रांच मैनेजर) मैसर्स गुजरात कॉ–ओपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि.(लाईसेन्सी) प्लॉट संख्या ई–376 द्वितीय फेज इण्डस्ट्रीयल एरिया बासनी जोधपुर
4. अशोक माथुर ब्रांच मैनेजर गुजरात कॉ–ओपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि. जयपुर बी–40 केशव पथ सूरज नगर (पश्चिम) सिविल लाईन जयपुर 302006
5. नरेश शाह उप प्रबंधक अमूलफेड डेयरी प्लॉट नं.35 इंदिरा ब्रिज के पास, अहमदाबाद–गांधीनगर हाईवे गांव भात 382428 गांधीनगर (गुजरात)
6. गुजरात कॉ–ओपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि. मार्फत शाह पदमचन्द मुथा एण्ड कम्पनी, ई–376 एमआईए बासनी द्वितीय फेज जोधपुर–342005
7. अमूलफेड डेयरी लि. प्लॉट नं.35 इंदिरा ब्रिज के पास, अहमदाबाद–गांधीनगर हाईवे गांव भात 382428 गांधीनगर (गुजरात)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित
2. अप्राथी संख्या 1 की ओर से श्री दीपाराम परमार अधिवक्ता अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 3 से 8 की ओर से श्री महेन्द्र नारायण ओझा अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 23-06-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(।।) एवं धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अनुपस्थित।

प्रार्थी ने अपने परिवाद में अंकित किया है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेल्वे जोधपुर के पद पर पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 21.2.2017 को मैसर्स गुजरात कॉ–ओपरेटिव

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि.(लाईसेन्सी) एवं मैसर्स भगवान दास पुत्र श्री परमानन्द (सब लाईसेन्सी) मिल्क स्टॉल प्लेटफॉर्म संख्या 1 पाली मारवाड़ पर निरीक्षण करते हुए पहुंचा उक्त गुजरात कॉ–ओपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि.(लाईसेन्सी) एवं मैसर्स भगवान दास पुत्र श्री परमानन्द (सब लाईसेन्सी) मिल्क स्टॉल के नाम से आवंटित है। मिल्स स्टॉल प्लेट फॉर्म संख्या 1 रेल्वे स्टेशन पाली पर अप्रार्थी संख्या 1 सेल्समैन के रूप में कार्यरत था। यात्रियों के लिए दुध व दुध से निर्मित डेयरी बेज्ड ड्रिंक फलेवर्ड लस्सी अमूल ब्रांड आदि विक्रय कर रहे थे। मैने अप्रार्थी संख्या 1 को परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। निरीक्षण करने पर स्टॉल मे दो कैरेट डेयरी बेज्ड ड्रिंक फलेवर्ड लस्सी अमूल ब्रांड पैक अवस्था में डीफ्रिज में विक्रय हेतु रखे हुए थे। इस सिल्ड पैक डेयरी बेज्ड ड्रिंक फलेवर्ड लस्सी अमूल ब्रांड पैकेट में मिलावट का संदेह होने पर मौके पर फार्म संख्या 5ए पर नोटिस तैयार किया। मिल्क स्टॉल पर मौजूद गवाह ताराचन्द सफाई वाला के हस्ताक्षर करवाये तथा सेल्समैन अप्रार्थी संख्या 1 घनश्याम पंवार को दिया। स्टॉल में रखे दो कैरेट डेयरी बेज्ड ड्रिंक फलेवर्ड लस्सी अमूल ब्रांड 12 पैकेट (प्रत्येक टेट्रा पैक में 200 एम.एल.) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत सेल्समैन अप्रार्थी संख्या 1 को रूपये 240/– नकद देकर रसीद प्राप्त की। रसीद पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। खरीदशुदा डेयरी बेज्ड ड्रिंक फलेवर्ड लस्सी अमूल ब्रांड 12 पैकेट टेट्रा पैक में से 3–3 टेट्रा पैक को चार जगह मूल अवस्था में बांधकर बंद किया एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक खाद्य नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक खाद्य पदार्थ नमूना भागो पर डी.ओ.कोड व सिरीयल नम्बर NWR-319 विवरण दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये एवं सेल्समैन अप्रार्थी संख्या 1 तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज के रैपर मे लपेटकर प्रत्येक भाग पर D.O./NWR/Jaipur की हस्ताक्षरसुदा पेपर स्लीप संख्या NWR-319 नियमानुसार चारों भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार उपर–नीचे, दायें–बायें सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर अप्रार्थी संख्या 1 व गवाह के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोना पर आ जावे प्रार्थी स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। प्रार्थी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर अप्रार्थी संख्या 1 व गवाह को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे अप्रार्थी संख्या 1 ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने मौके पर ही फार्म 5ए की आठ प्रतियां तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया था। एक नमूना भाग मय फार्म 5ए की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मूहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 5ए की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर फार्म नम्बर 5ए पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सीलबंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 5ए की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलबंद कर अभिहित अधिकारी उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रार्थी को अभिहित अधिकारी उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर के पत्रांक मेड/एच/605/एफएसएसए/लैब रिपोर्ट्स/319 दिनांक 4.5.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/141/एक्ट/2017/142 दिनांक 6.3.2017 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया डेयरी बेज्ड ड्रिंक फलेवर्ड लस्सी अमूल ब्रांड नमुना कोड संख्या NWR-319 Sub-Standards होना पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub standards डेयरी बेज्ड ड्रिंक फलेवर्ड लस्सी अमूल ब्रांड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है तथा धारा 51 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है। अतः आवेदन स्वीकार किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

बहस के दौरान उभयपक्ष अनुपस्थित रहने से प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक दिनांक 21.2.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 की पाली मारवाड़ रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या एक पर स्थित मिल्क स्टॉल से डेयरी बेज्ड ड्रिंक फलेवर्ड लस्सी अमूल ब्रांड को वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या NWR-319 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की दुकान से वास्ते जांच लिये गये डेयरी बेज्ड ड्रिंक फलेवर्ड लस्सी अमूल ब्रांड नमुना कोड संख्या NWR-319 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/141/एक्ट/2017/142 दिनांक 6.3.2017 अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की स्टॉल से लिया गया डेयरी बेज्ड ड्रिंक फलेवर्ड लस्सी अमूल ब्रांड का नमुना अवमानक (Sub-standards) पाया गया जिसका अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-standards) डेयरी बेज्ड ड्रिंक फलेवर्ड लस्सी अमूल ब्रांड का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 25,000/-अक्षरे पच्चीस हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 8 प्रत्येक पर 50,000/- अक्षरे पचास हजार रूपये कुल 3,25,000/- अक्षरे तीन लाख पच्चीस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्दभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 23-6-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली